न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–तृतीय, जमुई
<u>सत्र वाद संख्या–153/2019</u>
{खैरा थाना कांड संख्या–87/2018 से उत्पन्न}

उपस्थित– कमला प्रसाद
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई

राकेश मरांडी
बनाम
राज्य सरकार

अंतर्गत धारा–302/34 भा0द0वि0, धारा 27 आर्म्स एक्ट एवं
धारा 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 यू0ए0पी0 एक्ट

<u>14.07.2025</u> **1.** कारांबदी अभियुक्त राकेश मरांडी को कारा से प्रस्तुत किया गया तथा पुनः सी0/डब्लू0 के साथ कारा भेजा गया तथा एक अन्य अभियुक्त सकिन्दर यादव की हाजरी है। बंदी अभियुक्त **राकेश मरांडी** पिता–स्व0 स्व0 जेठा मरांडी, साकिन राजाडुमर, थाना चकाई, जिला जमुई की ओर से जमानत आवेदन को दाखिल किए। जमानत आवेदन की एक प्रति लोक अभियोजन को प्राप्त करायी गयी। जमानत के बिंदु पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री ब्रजेश कुमार सिंह तथा विद्वान अपर लोक अभियोजन को सुना गया। दिनांक 07.05.2025 को पी0डब्लू निर्गत किया गया तथा आवेदक अभियुक्त दिनांक 15.05.2025 से काराधीन है।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता जमानत आवेदन को प्रचालित कर निवेदन किए कि आवेदक अभियुक्त निर्दोष है तथा प्रस्तुत वाद में झूठा फंसाया गया है। आवेदक अभियुक्त को दिनांक 30.08.2019 को जमानत दी गई थी। दिनांक 11.10.2023 को अभिलेख साक्ष्य हेतु नियत था, आवेदक अभियुक्त सदेह उपस्थित नहीं होने के कारण आवेदक के विरूद्ध अजमानतीय अधिपत्र निर्गत किया गया। आवेदक जानबूझकर अनुपस्थित नहीं रहा है आवेदक लम्बे समय से गिरिडीह जेल में संसीमित था। आवेदक के निवेदन पर दिनांक 07.05.2025 से आवेदक पी0डब्लू पर तथा सी0डब्लू0 पर दिनांक 15.05.2025 से न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदक न्यायालय के संतुष्टियोग्य बंध पत्र दाखिल करने को तैयार है। अतः आवेदक अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करने का निवेदन करते हैं।

3. विद्वान लोक अभियोजक जमानत आवेदन का विरोध नहीं करते हैं।

4. उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया जिससे विदित होता है कि आवेदक अभियुक्त को निर्देश देने के बावजूद भी कई तिथियों से कोई पैरवी नहीं कर रहे थे। अभिलेख साक्ष्य हेतु नियत था। वाद पुकारा गया, पुकार पर बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता या आवेदक अभियुक्त सदेह न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये। आवेदक अभियुक्त के सदेह उपस्थित नहीं रहने के कारण आवेदक

लगातार.....

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–तृतीय, जमुई
<u>सत्र वाद संख्या–153/2019</u>
{खैरा थाना कांड संख्या–87/2018 से उत्पन्न}

उपस्थित– कमला प्रसाद
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई

राकेश मरांडी
बनाम
राज्य सरकार

अंतर्गत धारा–302/34 भा0द0वि0, धारा 27 आर्म्स एक्ट एवं
धारा 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 यू0ए0पी0 एक्ट

–लगातार–
<u>14.07.2025</u>

अभियुक्त का बंध पत्र दिनांक 11.10.2023 को खंडित किया गया तथा आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 31.01.2024 को अजामनतीय अधिपत्र निर्गत किया गया। आवेदक अभियुक्त द्वारा प्रथम्बार जमानत का दुरूपयोग किया गया है। आवेदक अभियुक्त इस न्यायालय के सत्र वाद संख्या 172/2019 में कारा में है, आवेदक अभियुक्त के उपस्थापन हेतु दिनांक 08.05.2025 पी0डब्लू0 निर्गत करने का आदेश पारित किया गया। आवेदक अभियुक्त दिनांक 15.05.2025 को पी0डब्लू के साथ न्यायालय में मंडल कारा, जमुई से उपस्थापन कराया गया है। इस वाद में आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध आरोप का गठन दिनांक 24.06.2019 को धारा 302/34 भा0द0वि0, धारा 27 आर्म्स एक्ट एवं धारा 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 यू0ए0पी0 एक्ट के अन्तर्गत किया जा चुका है। आवेदक अभियुक्त वादा करते है कि भविष्य में वह जमानत आदेश का दुरूपयोग नहीं करेगे तथा प्रत्येक तिथि पर उपस्थित रहेंगे एवं न्यायालय के सभी आदेशों का पालन करेगें।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवेदक/अभियुक्त राकेश मरांडी द्वारा 10,000/–रूपये के दो जमानतदार प्रतिभूओं सहित न्यायालय के संतुष्टि के अनुसार प्रस्तुत करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

शर्तें–

(i) आवेदक अभियुक्त प्रत्येक तिथि पर न्यायालय में सदेह उपस्थित रहेंगे।

(ii) आवेदक अभियुक्त के दो लगातार तिथियों पर अनुपस्थित रहने पर न्यायालय आवेदक/अभियुक्त का बंध पत्र खंडित कर सकता है

(iii) आवेदक अभियुक्त विचारण में पूर्ण सहयोग करेंगे तथा साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेंगे।

वाद दिनांक **15.07.2025** वास्ते साक्ष्य।

लेखापित

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई